न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 202 / 2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024 / 246

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री गुलाबचन्द सांखला पुत्र श्री कानाराम जाति–माली,निवासी राठौडी कुआं,नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक आज अनुपस्थित हैं।

:: निर्णय ::

दिनांक :–16.04.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हरीराम खारड़िया ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.02.2025 को पेश कर यह निवेदन किया हैं कि यह प्रार्थना–पत्र प्रवर्तन निरीक्षक ने सरासर गलत बना कर पेश किया हैं। हस्तगत प्रकरण से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं हैं। गैर सायल प्रार्थना–पत्र में दर्ज कथित परिसर डीडवाना रोड़,नागौर स्थित दुकान पर चाय पीने के लिए गया था,कथित परिसर अप्रार्थी के स्वामित्व का हैं। दिनांक 15.10.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक वगैरा की टीम को स्पष्ट कर दिया था कि कथित होटल के पास खुली जगह से जो कथित गैस सिलेण्डर किन्हीं उपभोक्ताओं के रखे हुए थे उन से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं हैं,जिस पर अप्रार्थी को यही कहा गया कि आप यहां आते हो,इसलिए नाम पता बताओ और अप्रार्थी से सामान्य अनुक्रम में नाम पता पूछ लिया व रूटीन जांच करने का कह कर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये,फिर अप्रार्थी वहां से चला गया था,अप्रार्थी के सामने न तो मौके पर से कोई गैस सिलेण्डर जब्त किये। अप्रार्थी ने उनको यह बताया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। अप्रार्थी न तो किसी प्रकार के गैस सिलेण्डरों के भण्डारण का कार्य करता हैं एवं न ही उक्त परिसर में अप्रार्थी ने ऐसा कोई भण्डारण किया हैं। केवल मात्र अपना टारगेट पुरा करने के लिए अप्रार्थी के विरूद्व यह मिथ्या परिवाद बिना किसी आधार के तैयार कर पेश किया जाकर अप्रार्थी को बदनाम किया जा रहा हैं। अप्रार्थी वृद्व बीमार व्यक्ति हैं,उसके विरूद्व बिना आधार के ऐसा परिवाद बनाने से उसकी बेइज्जती हुई हैं। इसलिए निवेदन हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उतरदाता के विरूद्व की यह कार्यवाही हाजा खारिज करने की कृपा करावें।

आज तारीख पेशी पर अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी अनुपस्थित होने पर प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि / एलपीजी / 2024 दिनांक 07.10.2024 की पालना में श्रीमान जिला रसद अधिकारी, नागौर के आदेशानुसार श्री देवाराम

नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 102403020918908 का संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता श्री दिलीप मो.नं. 7339952921 से वार्ता कर शिकायतकर्ता के बताये हुए स्थान डीडवाना रोड–वल्लम चौक,नागौर पहुंचकर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर चाय व ठण्डा पेय पदार्थ की दुकान का संचालन करने वाले श्री गुलाबचन्द सांखला व उनके पुत्र श्री दिनेश द्वारा संचालित चाय की दुकान पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिनके सम्बन्ध में श्री गुलाबचन्द के बयान दर्ज किये तो श्री गुलाबचन्द ने बताया कि उनके द्वारा घरेलू गैस की रिफिलिंग की जाती है। श्री गुलाबचन्द से घरेलू गैस के भण्डारण, विक्रय एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना अपने बयानों मे स्वीकार किया हैं। श्री गुलाबचन्द द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित किये गये 5 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	016795-T	14.2 किग्रा
2	एचपीसीएल	445038-S	14.2 किग्रा
3	एचपीसीएल	251269-T	14.2 किग्रा
4	एचपीसीएल	041058-T	14.2 किग्रा
5	एचपीसीएल	593509-S	10 किग्रा

उपरोक्त 5 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस सर्विस, नागौर के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद सलीम की सुपुर्दगी मे दिये गये। है।

इस प्रकार श्री गुलाबचन्द सांखला का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में 5 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हैं,परन्तु प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जबाब पेश कर यह निवेदन किया हैं कि यह सिलेण्डर उनके नहीं हैं एवं न ही उनसे कोई जब्ती इन सिलेण्डरों कि की गई हैं।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जब्त सुदा सामग्री उनकी नहीं होना एवं केवल रूटिन जॉच होना बताकर हस्ताक्षर करवाये जाना प्रकट किया हैं,जो मानने योग्य नहीं हैं। क्योंकि फर्द जब्ती पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र भी नहीं हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

कलक्टर नागौर

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर
नागौर